34

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण. कमांक : 307-तीन/2011 - विरूद्व - आदेश दिनांक 7-2-2011 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 70/2009-10 निगरानी

1- बल्देव सिंह पुत्र राम सिंह कटारिया
2- रूपसिंह पुत्र बल्देव सिंह कटारिया
ग्राम सोपरा तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्व

श्रीमती संगीता जैन पत्नि मनोजकुमार जैन
ग्राम बहादुरपुर तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0एल0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 02- 08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 70/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-2-2011 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने उनके नाम की ग्राम सोपरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 125/1 घ रकबा 1.000 हैक्टर, सर्वे कमांक 125/6 रकबा 1.045 हैक्टर , सर्वे कमांक 125/1 ख रकबा 1.045 हैक्टर पॅजीकृत विकय पत्र दिनांक 17-3-2004 से अनावेदक के हित में

विक्रय कर दी। विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 7 पर आदेश दिनांक 15-8-2007 से क्रेता अनावेदक का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने प्रकरण क्रमांक 22/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-10 से नामान्तरण आदेश दिनांक 15-8-07 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 70/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-2-2011 से निगरानी स्वीकार की अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली का आदेश दिनांक 29-10-10 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि आवेदकगण ने ग्राम सोपरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 125/1 घ रकबा 1.000 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 125/6 रकबा 1.045 हैक्टर , सर्वे क्रमांक 125/1 ख रकबा 1.045 हैक्टर पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17-3-2004 से अनावेदक के हित में विक्रय की है एंव बैध विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण आदेश को अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 7-2-2011 से इस आधार पर पुष्टिकृत किया है कि विक्रय पत्र की बैधता की जांच करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है जब तक कि सिविल न्यायालय व्दारा विक्रय पत्र को शून्य घोषित नहीं किया

जाता है , विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जावेगा। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 7-2-2011 में निकाले गये निष्कर्ष ठोस आधारों पर आधारित होने से निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-2-2011उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर